न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 05 / 2021 दायर दिनांक 29.07.2021

उनवान

1. किशन पिता अमरचंद जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी करजाली तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. गेहरी लाल पिता अमरचंद जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी करजाली तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सुरेश पिता अमरचंद जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी करजाली तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
4. प्रेमी पुत्री अमरचंद पत्नी कालू जाति जाट, आयु वयस्क, हाल मुकाम संगेसरा तहसील डूगला जिला चित्तौड़गढ़।
5. गोपी पुत्री अमरचंद पत्नी सम्पत जाति जाट, आयु वयस्क, हाल मुकाम जीवाखेडा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत करजाली तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पिता अमरचंद जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत करजाली नामान्तरण सं0 1093, दिनांक 07.09.2020

निर्णय दिनांकः 12.07.2022

–: निर्णयः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अपीलान्ट ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का निर्णय कानूनन एवं वाकियाती खिलाफ है जो काबिल खारिज के है। यह कि अपीलान्ट के बडे पिता रामलाल पुत्र वक्ता जाट निवासी करजाली का देहान्त दिनांक 29.06.2016 को हुआ और उनका विवाह नहीं हुआ कुँवारे थे जो हिन्दू संयुक्त परिवार में हम अपीलान्ट के साथ अन्तिम समय तक रहे और जीवन गुजारा और उनकी सेवा चाकरी व ईलाज आदि हिन्दू रिती से क्रियाक्रम भी हमने किया और मृत्तक के सगे भाई अमरचंद के हम संतान है व हमारे अलावा मृत्तक के और कोई रक्त संबंध से कोई वारिस नहीं है। न किसी को गोद लिया ना किसी के साथ रहे न किसी के साथ रह कर जीवन गुजारा।

यह कि अपीलान्ट ने नियमानुसार [illegible] के वारीसान की इन्तकाल की कार्यवाही ग्राम करजाली हल्के बैरूनी की [illegible] राम लाल पुत्र [illegible] जाट सा0 देह0 करजाली हाल रेवेन्यु रेकार्ड खाता संख्या [illegible]8, 466, 695, उल्ले[illegible]स्थान जरिये नामान्तरण नियमानुसार वारीसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हक कार्यवाही की जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested

पर इन्तकाल संख्या 1093 हल्का पटवारी ने मुकम्मल कर इन्तकाल पर विरासत का नामान्तरण मौका पर्चा जांच अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में मुकम्मल किया व राजस्व निरीक्षक ने भी उक्त इन्तकाल पर स्वीकृति दी परन्तु सारे कथन को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नजर अन्दाज करते हुए मनमाने ढंग से बिना किसी टिप्पणी के बिना सूने इन्तकाल खिलाफ कानून खारिज कर भूल की है।

यह कि उपरांकित इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा खारिज किये जाने की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.07.2021 को नकल लेने से हुई व उक्त इन्तकाल निर्णय प्रारम्भ से शुन्य निष्प्रभावी ऑर्डर है। जिससे कानूनन मियाद का प्रश्न नहीं है इसलिए बिना देरी के यह अपील पेश है।

अन्त में प्रार्थना की कि– अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट निर्णय खारिज फरमावे और मृत्तक राम लाल पुत्र वक्ता जाति जाट निवासी करजाली के जायज कानूनन हम अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के हक में उपरांकित ग्राम करजाली की उल्लेखित खाते की आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमावें। हर्जा खर्चा वकील मेहताना अपीलार्थी को विपक्षीगण से दिलवाया जावें। अन्य कोई मुफिद दाद न्यायालय उचित समझे विपक्षीगण से दिलाई जावें।

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल जाट का जवाब मय अधिकार पत्र प्रस्तुत।

जवाब अनुसार अपील की कॉलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत करजाली का नामान्तरण संख्या 1093 दिनांक 07.09.20220 को खारिज करने का निर्णय सही एवं सत्य है। कॉलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। रामलाल पिता वक्ता जाट निवासी करजाली द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रतनलाल को बहैसियत गोद पुत्र रखा। तथा बाल्यकाल से ही अपने पास रखते हुए उसकी परवरिश की । तथा रामलाल जी के बुजुर्ग होने पर रतनलाल ने भी एक प्राकृतिक पुत्र की तरह रामलालजी की सेवा चाकरी की। तथा उनकी मृत्यु के बाद एक पुत्र की तरह सारे सामाजिक कार्यक्रमों का निर्वहन किया। मृतक रामलाल जी के विरासत का नामान्तरण खुलवाने का आवेदन अपीलाण्ट द्वारा किया गया। जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत करजाली द्वारा विधि अनुसार खारिज किया गया। क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने जीवनकाल में रामलाल जी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से रखा था। इस कारण मृतक रामलाल जी के विरासत का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रतनलाल के नाम खोला जाना चाहिए था। लेकिन अपीलाण्ट के मन में मृतक रामलाल जी की सम्पत्ति प्राप्त करने का लालच पैदा हो जाने के कारण अपीलाण्टगण द्वारा अपने नाम पर विरासत का नामान्तरण खोलने का आवेदन किया था। जिसे पटवार हल्का करजाली द्वारा नामान्तरण संख्या 1093 भरकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत करजाली के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे बाद जांच ग्राम पंचायत करजाली द्वारा खारिज किया गया। जो न्यायोचित होकर सही है। अपीलाण्ट मृतक रामलाल जी की सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रखते है। अतः श्रीमान् से अन्त में प्रार्थना की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जवाब अपील स्वीकार फरमा अपीलाण्टगण की अपील खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील की तायद में अपीलाण्ट [illegible]लाल, नारायण, शंकर, माधुलाल, लच्छीराम, का शपथपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट [illegible] द्वारा शिवलाल का शपथ पत्र व फोटोग्राफ साथ ही रतनलाल, शान्तिलाल, पुष्कर, रतन पिता उंकार, लोकेश, कालुलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त अपील मे अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश की गयी जो निम्नानुसार है

1– यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो के बडे पिता रामलाल पिता वक्ता का देहान्त दिनाक 29.06.2016 को हो गया ,मृतक रामलाल की शादी नही होने से उनके कोई जायन्दा औलाद नही थी। राम लाल अपने जीवनकाल व अन्तिम समय तक हिन्दु सयुक्त परिवार के रूप मे अपने छोटे भाई अमरचन्द पिता वक्ता के सामिल परिवार रहे अमरचन्द की सन्ताने अपीलान्ट ने ही उनकी सेवा चाकरी, ईलाज गुजारा भत्ता किया उनके देहान्त के बाद हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म भी हम अपीलान्ट ने किया रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल अमरचन्द की सन्तान होकर अपीलान्ट का भाई है।

2– यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पिता अमरचन्द के तीन बडे भाई उदा, मोडीराम व रामलाल थें तीनो ने शादी नहीं करने से उनके कोई जायन्दा औलाद नही थी तीनो भाई अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पिता अमरचन्द के साथ हिन्दु सयुक्त परिवार के रूप में एक ही गुवाडी मे रहे। उदा ,मोडीराम व अमरचन्द के देहान्त के बाद उनके हक हिस्से की जमीन जायदाद हम सभी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो के विधिक वारिसान के रूप मे बराबर हक हिस्से मे आयी जिनका नामान्तरण मे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट स0 2 के नाम खुला आखिर मे रामलाल के देहान्त के बाद उनके हिस्से की जायदाद भी हम सभी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो विधिक वारिसान होकर समान हक हिस्से मे कब्जे काश्त करते चले आ रहे है।

3– यह कि उदा, मोडीराम व अमरचन्द के हक हिस्से की जायदाद मे हम सभी के नाम हक हिस्से अनुसार इन्तकाल पूर्व मे ही खुल चुका है परन्तु रामलाल के हक हिस्से की जायदाद पर उनके इन्तकाल के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो विधिक वारिसान होने से सभी के नाम नामान्तरण हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी द्वारा दिनाक 25.08. 2020 को शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पर्चा मौका जांच कर विरासत का सभी के नाम इन्तकाल पेश किया गया जिससे भू.अ.निरीक्षक (राजस्व निरीक्षक) ने दुरूस्त मानकर इन्तकाल अमल स्वीकृत किया। परन्तु ग्राम पंचायत करजाली ने प्रस्ताव संख्या 6 नामान्तरण संख्या 1093 को दिनाक 7.09.2020 को सभी के नाम खुले नामान्तरण को निरस्त कर दिया ग्राम पंचायत करजाली रेस्पोडेन्ट स0 एक ने उक्त इन्तकाल पर बिना कोई जांच एवं अपीलान्ट को सुने बिना ही राजनैतिक दबाव मे आकर विधिक वारिसान के अनुसार सभी के नाम नामान्तरण अमल स्वीकृति को खारिज किया रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने बिना किसी दस्तावेज टिप्पणी के खारिज किया जो कानुनी रूप से गलत किया है ग्राम पंचायत करजाली रेस्पोडेन्ट संख्या एक को विवादित मुदे को लेकर निर्णय करने का कोई अधिकार नही है जो निर्णय खारिज होने योग्य है।

4– यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल को ग्राम पंचायत करजाली ने दिनांक 18. 06.2020 को बिना किसी दस्तावेज के गोदपुत्र के आधार पर वारिस मान लिया और उसी आधार पर उक्त नामान्तरण खारिज किया जबकि ग्राम पंचायत करजाली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या दो को दिनाक 30.06.2021 को गोदीपुत्र के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र यह वर्णन करते हुये कि रतनलाल ने गोदीपुत्र हेतु गलत तथ्य बताकर पंचायत को गुमराह किया है इसलिए यह वारिस प्रमाण पत्र खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा गोदपुत्र के आधार पर इन्तकाल पर आपत्ति के आधार पर जो नामान्तरण दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया व स्वतः निरस्त योग्य है तथा ग्राम पंचायत करजाली द्वारा इन्तकाल निरस्तीकरण निर्णय उपरान्त कोई कार्यवाही नही है और ग्राम पंचायत करजाली का निर्णय निष्प्रभावी व शुन्य ऑर्डर है। अपीलान्ट को ग्राम पंचायत करजाली के निर्णय की जानकारी दिनांक 16.07.2021 को नकल लेने से हुई तथा दि0 28.07.2021 को बिना किसी देरी के ग्राम पंचायत करजाली के निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा आप श्रीमान के यहा अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested

5– यह कि अपील मे रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल ने अपील जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत करजाली द्वारा दिनाक 07.09.2020 को इन्तकाल खारिज निर्णय सही था रतनलाल को रामलाल के गोदपुत्र के रूप मे मानकर रतनलाल द्वारा ही मृतक रामलाल की सेवा चाकरी ईलाज व उनके देहान्त के बाद क्रियाकर्म, प्रसादी, पिण्डदान किये है इसलिए मृतक रामलाल की विरासत जायदाद का नामान्तरण मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल के नाम खोला जाना चाहिए। हम अपीलान्ट का निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल के मन मे बधयान्ती होने से अपने बड़े पिता मृतक रामलाल की जायदाद अकेले अपने नाम कराने हेतु ग्राम पंचायत करजाली मे बिना किसी दस्तावेज के राजनैतिक दबाव व पंचायत को गुमराह कर गोदपुत्र के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र बना एंव अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सभी के नाम स्वीकृत इन्तकाल को ग्राम पंचायत करजाली द्वारा निरस्त करवाया तथा उसी समय तहसीलदार साहब कपासन मे वसीयत के आधार पर अपने नाम इन्तकाल खुलाने का आवेदन किया रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल ने अपने नाम जायदाद कराने हेतु अपीलान्ट के खिलाफ छल कपट व धोखा देकर मृतक रामलाल के जायदाद अपने नाम कराने के लिये अलग अलग दस्तावेजो के नामा से न्यायालय मे अपने नाम नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन किये है जो पूर्णतया झुठे तथ्यो के आधार जवाब अपील पेश की गई है रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने पेश किये तथा जवाब अपील के समर्थन मे 6 गवाहान के शपथ पत्र स्टाम्प पर नोटरे पब्लिक से तस्दीक करा कर पेश किये व एक गवाह का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किये जो कुल 7 गवाहो के शपथ पत्र रतनलाल द्वारा पेश गवाहो मे कोई भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो के परिवार, कूनबे अथवा रिश्तेदार नही है चार गवाह तो दुसरे गांव मे निवास करते है जिनका अपीलान्ट के परिवार से कोई जान पहचान अथवा लेन देन नही रही है। एवं इनका अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम आना जाना नही रहा। जबकि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या दो के अपील जवाब मे गोदपुत्र के खिलाफ साक्ष्य के लिये गांव के ही मोतबीरान एवं परिवार, कुनबे के शपथ पत्र पेश किये है जो अपीलान्ट के परिवार मे सुख दुःख हरेक काम मे सामिल होकर परिवार की हरेक बात से वाकिब है रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल अपीलान्ट का भाई होने से उदा व मोडीराम जिनकी शादी नही होने से उनकी कोई जायन्दा औलाद नही थी उनकी जायदाद एवं अपने पिता अमरचन्द की जायदाद मे हम सभी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो भाई बहीनो को समान हक हिस्सा मिला इसी प्रकार बडे पिता रामलाल की जायदाद मे भी सभी का हक हिस्सा होने से सभी के नाम से मृतक रामलाल की जायदाद मे इन्तकाल खुलाने का आवेदन किया था परन्तु रतनलाल के मन मे बधयान्ति आने से मृतक रामलाल की जायदाद हडपने की नियत से पहले ग्राम पंचायत करजाली को राजनैतिक के दम पर गोदीपुत्र के नाम पर भ्रम मे रखा और अपने नाम वारिसान प्रमाण पत्र बनवाया परन्तु रेस्पोडेन्ट स0 1 ग्राम पंचायत करजाली द्वारा दिनाक 07.09.2020 को रतनलाल के दबाव में आकर इसकी आपत्ति पर नामान्तरण निरस्त का निर्णय कर खारिज किया जो आज तक खारिज होकर निष्प्रभावी व शुन्य आर्डर है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल के नाम मृतक रामलाल की जायदाद मे ग्राम पंचायत करजाली द्वारा इन्तकाल निर्णय खारिज होने के बाद रतनलाल द्वारा मृतक रामलाल की जायदाद को अकेले अपने नाम कराने हेतु फर्जी दस्तावेज, फर्जी गवाहान ,झुठे आवेदन व अपील की गई जो निम्न है

अ– ग्राम पंचायत करजाली द्वारा गोदपुत्र होने की आपति पर नामान्तरण निरस्त निर्णय दिनाक 07.09.2020 को किया परन्तु रतनलाल के नाम इन्तकाल नही खुलने से उसी दिन तहसीलदार साहब कपासन ने दिनाक 07.09.2020 को ही गोदपुत्र के बजाय फर्जी वसीयत नामे के आधार पर अपने नाम नामान्तरण खुलाने का आवेदन किया आवेदन पर तहसीलदार द्वारा पटवारी को जांच एवं वारिसान पर्चा मौका बनाने एवं अपीलान्ट को सम्मन से तलब करने तथा आपति बाबत अखबार मे विज्ञप्ति जारी कराई दोनो पक्षकारान के बयान लिये गये तत्पश्चात दिनाक 10.02.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या दो प्रार्थी का आवेदन खारिज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested

किया गया तथा जांच कर वारिसान के नाम इन्तकाल खोलने का आदेश किया रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल द्वारा स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा फर्जी वसीयत बनाई इस फर्जी वसीयत को लेकर अपीलान्ट ने इस्तगासे के जरिये पुलिस थाना कपासन मे मुकदमा दर्ज कराया जिस पर ए0सी0जे0एम0 कपासन मे एफ0आर0 पेश की अपीलान्ट गेहरी लाल द्वारा प्रोटेस्ट पीटिशन पेश की जिस पर श्रीमान एसीजेएम कपासन द्वारा दस्तावेज की एफएसएल पुनः जांच मे नियत है।

ब– यह कि अपीलान्ट को तहसीलदार साहब के निर्णय के बाद नामान्तरण आवेदन किया तब पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने गोदीपुत्र के आधार पर ग्राम पंचायत करजाली मे नामान्तरण खारिज कराया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 16.07.2021 को नकल लेने से पता चला। जिस पर अपीलान्ट ने बिना किसी देरी के दिनाक 28.07.2021 को यह अपील पेश की रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने तहसीलदार साहब कपासन द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण आवेदन को खारिज निर्णय की अपील श्रीमान के यहा अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील की जानकारी होने के बाद भी सम्भागीय आयुक्त उदयपुर मे अपील पेश की जो दिनाक 07.09.2021 को खारिज की गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अपील न्यायालय को अलग अलग दस्तावेजो के आधार पर अपने नाम नामान्तरण खुलाने की झुठे तथ्यो पर आवेदन व अपील की गई।

स– यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो रतनलाल जानबुझ कर जमीन हडपने की नियत से कभी गोदपुत्र ,कभी वसीयतनामे के आधार पर अपने नाम नामान्तरण कराने हेतु आवेदन एवं अपील पेश कर गुमराह किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा जवाब अपील भी पूर्णतया गलत तथ्यो पर पेश कर गुमराह किया गया। .

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत करजाली के निर्णय को खारिज कर अपीलान्ट द्वारा किये गये नामान्तरण आवेदन पर एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम नामान्तरण को पुनः खोले जाने का आदेश प्रदान करावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या दो पर झुठे तथ्यो पर भारी से भारी जुर्माना लगाकर
अपीलान्ट को दिलाया जाये।

संलग्न किये दस्तावेज 1– ग्राम पंचायत करजाली द्वारा वारिस खारिज प्रमाण पत्र दि0 31. 08.2021। 2– तहसीलदार साहब द्वारा पटवारी जरिये नामान्तरण वारिसान का पर्चा मोका की सर्टीफाईड नकल दिनाक 10.09.2020। 3– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तहसीलदार साहब के यहा नामान्तरण आवेदन की नकल दिनाक 07.09.2020। 4– ग्राम पंचायत करजाली द्वारा नामान्तरण खारिज की नकल दिनाक 07.09.2020। 5– रतनलाल के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट की नकल दिनाक 23.10.2020। 6– एसीजेएम साहब कपासन द्वारा पुनः जांच के आदेश की नकल दिनाक 8.11.2021। 7– शोक पत्रिका मृतक रामलाल। 8– राशन कार्ड की फोटो कॉपी। 9– उदा, मोडीराम व अमरचन्द की जायदाद पर सभी अपीलान्ट के नाम नामान्तरण खुले उसकी नकल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 द्वारा लिखित बहस निम्न निवेदन के साथ पेश कि –

1. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत करजाली का नामान्तरण संख्या 1093 दिनांक 07/09/2020 को खारीज करने का निर्णय सही है।
2. यह कि रामलाल पिता वगता जी जाट निवासी करजाली द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रतनलाल को बहैसियत गोद पुत्र रखा तथा बाल्यकाल से ही अपने पास रखते हुए उसकी परवरीश की तथा रामलाल जी के बुजुर्ग होने पर रतनलाल ने भी गए प्राकृतिक पुत्र की तरह रामलाल जी की चाकरी की तथा उनकी मृत्यु के बाद एक पुत्र की तरह सारे सामाजिक कार्यक्रम का निर्वहन किया था।
3. यह कि मृतक रामलाल जी का विरासत का नामान्तरण खुलवाने का आवेदन अपीलान्ट द्वारा किया गया जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत करजाली द्वारा विधि अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested

खारीज किया गया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने जीवनकाल में रामलाल जी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से रखा था एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रतनलाल पिता अमरचंद गोदपुत्र रामलाल ने ही हरिद्वार में हिन्दू रिती रिवाज अनुसार अन्तिम सामाजिक संस्कार हर की पोडी हरिद्वार में दिनांक 06/07/2016 को सम्पन्न किये जिसके फोटोग्राफ्स भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के गोदपुत्र होने के सामाजिक संस्कारों का एक साक्ष्य है।

4. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को गोदपुत्र रामलाल का होने के उपरान्त से ही सारी चल अचल सम्पत्ति आराजीयात नोहरा बाड़ा पर कब्जा सिपूर्द कर रखा था एवं रामलाल की मृत्यु के बाद आज तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोदपुत्र रतनलाल का ही कब्जा होकर आराजीयात को उपजाऊ बना रखा है तथा आराजीयात पर ट्युबवेलें खोदकर आराजीयात की सिंचाई करता है जिस पर अपीलान्ट ने कभी कोई उजर एतराज नहीं किया एवं शान्तिप्रिय कब्जा रतनलाल का ही चला आ रहा है, ट्युबवेलों मे रेस्पोडेन्ट सं0 2 रतनलाल ने लाखों रूपये खर्च किये है तथा गॉव के मोतबीरान व समझदार व्यक्ति भी जानते व मानते है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रतनलाल ही रामलाल का गोदपुत्र है साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14/12/2012 मे भी बताया गया है कि एक सामाजिक सामान्य सरमनी ही दत्तक पूत्र के लिए काफी होती है, लिखित दस्तावेज होना कोई जरूरी नहीं है। इस सम्बन्ध में दिये आदेश की फोटोप्रति लिखित बहस के साथ संलग्न की जा रही है एवं राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31/12/2002 मे भी केवल रूढिगत रस्तों को पूरा करना ही गोदपूत्र के लिए आवश्यक बताया गया है गोद लिखतम होना आवश्यक नहीं है, मौखिक साक्ष्य ही गोदपुत्र के लिए काफी है इसके आदेश के प्रति भी लिखित बहस के साथ संलग्न कर रहा हूँ। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निर्विवादित रामलाल का एकमात्र दत्तक पुत्र है, इस कारण रामलाल की सारी चल अचल सम्पत्ति आराजीयात बाड़ा नोहरा को प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 को गोदपत्र मानते हुए आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत की लिखित व मौखिक बहस पर मनन किया। अतः यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत करजाली द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 1093 दिनांक 07.09.2020 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुना जाकर नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:16 IST
Reason: SelfAttested